कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊः अप्रैल 10, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 293/2026 दिनांक 13–03–2026 के द्वारा माह अप्रैल, 2026 में जनपद आगरा में युगलपीठ का गठन दिनांक 15–04–2026 से 17–04–2026 करते हुए न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–झांसी को नामित किया गया था एवं जनपद कानपुर में दिनांक 20–04–2026 से 22–04–2026 एवं जनपद प्रयागराज में दिनांक 27–04–2026 से 28–04–2026 तक युगलपीठ का गठन करते हुए न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 प्रयागराज को नामित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 191/एडमिन सर्विसेज/2026 दिनांक 05–04–2026 के द्वारा उपरोक्त दोनों न्यायिक सदस्यों का स्थानान्तरण उनके मूल न्यायिक विभाग में कर दिया गया है ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 293/2026 दिनांक 13–03–2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद आगरा में गठित युगल पीठ दिनांक 15–04–2026 से 17–04–2026, जनपद कानपुर में गठित युगल पीठ दिनांक 20–04–2026 से 22–04–2026 एवं जनपद प्रयागराज में गठित युगल पीठ दिनांक 27–04–2026 से 28–04–2026 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-10.04.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/394/2026 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2 आगरा।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2, प्रयागराज ।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, 3 व 4 कानपुर ।
4– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ, झांसी ।
5– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।